संख्या– 149 /ज.प्र.अनु./2016–11(5)/2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबंध निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग (जलागम) देहरादून : दिनांक 26 जुलाई, 2016

विषय–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत External Hydrological Monitoring Consultancy के चयन का अनुमोदन एवं कंन्सलटेन्सी की धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2105/10–30(2)/2014–15 दिनांक 19.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 89/ज0प्र0अनु/2015/11(5)/2015 दिनांक 11.02.2015 के कम में आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत External Hydrological Monitoring की कन्संलटेन्सी हेतु M/S WAPCOS Ltd. 76-C, Institutional Area, Sector-18, Gurgaon के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से चयन का अनुमोदन एवं संस्था द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये रू0 4,99,90,000.00 (चार करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार मात्र) की लागत एवं इस पर नियमानुसार देय सेवाकर का अनुमोदन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. कन्संलटेन्सी का कार्य विश्व बैंक की गाईड लाईन्स एवं अनुमोदित ToR के अनुसार सम्पादित किया जाय।

3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित संस्था से नियमानुसार अनुबन्ध करा लिया जाय।

4. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही कन्संलटेन्सी पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि के व्यय के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वर्ष में अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखाशीर्षक–2401 फसल कृषि कर्म–00 आयोजनागत–800 अन्य योजनायें–97 वाह्य सहायतित योजना–02 उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत सुसंगत मद–42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 312/XXVII(7)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

संख्या– 149 /ज.प्र.अनु./2016–11(5)/2015दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमांयू नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय संवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–4।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव